न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमलराम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–12/2017

(223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. लल्लूराम पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी ग्राम गण्डूरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।

.....वादी/अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर राज0 ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।
3. शेरसिंह पुत्र श्री फतेहराम ज़ाति जाट निवासी ग्राम गण्डूरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।
4. नरेन्द्र पुत्र रामगोपाल,
5. जितेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 रामगोपाल जाति जाट निवासीयान ग्राम गण्डूरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।
6. रामजीलाल पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी ग्राम गण्डूरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।
7. भूपसिंह पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी ग्राम गण्डूरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।
8. यासीन पुत्र चन्दू जाति मेव निवासी नांगल खानजादी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।
9. रोशनी पत्नि हनीफ खां जाति मेव निवासी नांगल खानजादी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।
10. शाखा प्रबन्धक राजस्थान सरकार ग्रामीण बैंक लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।
11. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक बड़ोदामेव जिला अलवर राज0 ।

..... रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–

1. श्री मूलचन्द चौधरी, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक सं0 1 व 2
3. रेस्पो0 सं0 3 ल0 11 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–28.03.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.11.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा इस्तकरारहक व दुरूस्ती का इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलांट की खरीदशुदा आराजी ख0 नं0 791 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम गण्डूरा जिसके मिन नम्बर 791 मिन तरफ पूर्व रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा एवं आराजी ख0 नं0 791 मिन तरफ पश्चिम रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा बन्दोबस्त होने से पूर्व ही अलग–अलग खसरा नम्बरान कागजात माल में दर्ज चले आ रहे थे जिनमें से अपीलांट ने बन्दोबस्त होने से पहले ही भगवान पुत्र गंगाधर जाट से आराजी ख0 नं0 791 मिन तरफ पश्चिम रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद की थी और तभी से अपीलांट लगातार उक्त खरीदशुदा आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है किन्तु सैटलमेन्ट विभाग ने 14 बिस्वा रकबा वादी के खाते में कम दर्ज कर दिया तथा 14 बिस्वा रकबा आराजी ख0 नं0 791 मिन तरफ पूर्व के नये नम्बर आराजी ख0 नं0 1110 व 1111 में सम्मिलित कर दिया तथा शेष 14 बिस्वा किसी भी अन्य खसरा में सम्मिलित नहीं किया गया बल्कि वादी की आराजी ख0 नं0 1112 का रकबा कम दर्ज कर दिया जबकि मौके पर आराजी 2 बीघा 7 बिस्वा वादी/अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही है । इस प्रकार बन्दोबस्त विभाग को इन्द्राज परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था तथा बन्दोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज कर रकबा दर्ज करना चाहिए था । इसलिए वाद वादीगण डिक्री करने का निवेदन किया । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया । विद्धान अधिनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 09.11.2016 को वादी का वाद खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 09.11.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया लेकिन रेस्पो0 सं0 3 ल0 11 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये, केवल पैरोकार सरकार उपस्थित । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि आराजी ख0 नं0 साबिक 971 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम गण्डूरा तहसील लक्ष्मणगढ़ के जमाबन्दी सम्वत् 2000 व 2004 तक घीसा–रूपराम बहिस्से बराबर के खातेदार काश्तकार थे तथा इसी अनुसार सम्वत् 2016 में साबिक ख0 नं0 971 मिन रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा के खातेदार घीसा रूपराम पुत्रान कल्लू थे तथा जमाबन्दी सम्वत् 2016 में साबिक ख0 नं0 791 मिन रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा के खातेदार भगवान पुत्र गंगाधर जाट को खतोदार दर्ज रेकार्ड किया गया एवं सम्वत् 2020 में साबिक ख0 नं0 791 मिन रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा भगवान पुत्र गंगाधर व ख0 नं0 791 मिन रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा के खातेदार घीसा रूपराम के नाम दर्ज रेकार्ड है । सैटलमेन्ट से पूर्व 1963 में भगवान पुत्र गंगाधर से 791 मिन रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा तरफ पश्चिम अपीलांट ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद लिया तथा सैटलमेन्ट में उक्त खसरा नम्बर के तीन नम्बर क्रमशः 1110 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 1111 रकबा 1 बीघा, 1112 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा कायम किये गये थे । अपीलांट अपील खरीदशुदा आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है किन्तु 14 बिस्वा रकबा वादी के खाते में कम दर्ज कर दिया तथा 4 बिस्वा रकबा आराजी ख0 नं0 791 मिन तरफ पूर्व के नये नम्बर आराजी ख0 नं0 1110, 1111 में सम्मिलित कर दिया तथा शेष 14 बिस्वा किसी अन्य खसरा में सम्मिलित नहीं किया गया

बल्कि आराजी ख0 नं0 1112 में कमदर्ज कर दिया जबकि मौके पर आराजी 2 बीघा 7 बिस्वा वादी/अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही है जो राजस्व रेकार्ड से साबित है । सैटलमेन्ट के दौरान अपीलांट के हिस्से की जमीन जो कि हाल ख0 नं0 1112 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा बनाया गया है उसमें रकबा कम कर दिया गया है और 10 बिस्वा रकबा ख0 नं0 1110 एवं 4 बिस्वा 1111 व 1110 में मिला दिया जबकि दोनों नम्बरों का रकबा मिलाकर कुल रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा होना चाहिए था जो राजस्व रेकार्ड सैटलमेन्ट के तुलनात्मक मिलान क्षेत्रफल से पूरी तरह से स्पष्ट है ।

बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि उक्त स्थिति में ख0 नं0 1110 में से 10 बिस्वा तथा 1111 व 1110 में से 4 बिस्वा रकबा का अपीलांट को खातेदार घोषित किया जाकर वाद वादी डिक्री किया जाना चाहिए था किन्तु तहत न्यायालय ने बेजा तौर पर अपीलांट का वाद खारिज कर दिया है ।

अपीलांट द्वारा वाद में प्रतिवादी सं0 4 रामगोपाल को पक्षकार बनाया गया था जिसका स्वर्गवास हो चुका है तथा उसके स्थान पर रेस्पो0 नरेन्द्र व जितेन्द्र को पक्षकार बनाया गया है तथा दौराने वाद प्रतिवादी सं0 5 व 6 द्वारा विवादित आराजी रोशनी पत्नि हनीफ को विक्रय कर दी जिसके नाम इन्तकाल सं0 1796 दिनांक 9.6.2016 को दर्ज व तस्दीक किया गया । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हुए तहत न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावें ।

प्रतिउत्तर में पैरोकार सरकार ने बहस में जाहिर किया कि विवादित आराजी के बाबत वादी/अपीलांट ने तहत न्यायालय में और ना ही इस न्यायालय में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जिससे वादी के द्वारा मौके पर हाल ख0 नं0 1112 का रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा हो एवं वादी उक्त रकबे पर काबिज हो, ऐसा भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । इसलिए तहत न्यायालय ने विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । तहत न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया ।

अपीलांट का मुख्य बिन्दू यह है कि उनके द्वारा ख0 नं0 791 मिन रकबा 2.07 बीघा जो जरिये क्रय किया है और जिसके हाल नम्बर 1110, 1111, 1112 बनाये हैं, उसके रकबे में अन्तर है । मौके पर अपीलांट खरीद की गई आराजी रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा पर ही काबिज है परन्तु रेकार्ड में बन्दोबस्त में रकबा 14 बिस्वा कम कर दिया ।

अपील में मुख्य बिन्दू बहस में यह रहा है कि तहत न्यायालय को मौका रिपोर्ट बाद पैमाईश मंगवानी चाहिए तथा उसके आधार पर अपीलांट का रकबा संशोधित करने की डिक्री जारी करनी चाहिए । इसलिए प्रकरण को पुनः तहत न्यायालय को भिजवाया जावें । इसके अनुरूप ही अपीलांट को साक्ष्य व पैमाईश रिपोर्ट करना चाहते हैं ।

इन समस्त बिन्दुओं का तहत न्यायालय पुनः परीक्षण करके अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर तनकीयात कायम करते हुए पुनः निर्णय पारित करना चाहिए । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.11.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है तथा प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के निर्णय दिनांक 09.11.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ (अलवर) को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को प्रकरण में रेकार्ड, साक्ष्य प्रदान करने का समुचित अवसर देकर तथा मौका पैमाईश रिपोर्ट मंगवाकर, तनकीयात कायम करते हुए पुनः गुणावगुण व निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/3/18

(कमलराम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर